भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5535
26.07.2019 को उत्तर के लिए
आंध्र प्रदेश की नदियों में प्रदूषण

5535. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश में नदी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या तंत्र है;
(ख) क्या प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के बावजूद भी आंध्र प्रदेश में नदियों में प्रदूषण की असामान्य वृद्धि हुई है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
(घ) नदियों में कौन से मुख्य प्रदूषक बहकर जा रहे हैं तथा उक्त बहिस्रावों को नदियों और झीलों में जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ङ) क्या प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु वर्तमान बजट में कोई विशेष जोर दिया गया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन हेतु कितना आवंटन किया गया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (घ) : तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के परिणामस्वरूप अशोधित/आंशिक रूप से शोधित घरेलू और औद्योगिक बहिस्राव के निस्सरण के कारण पिछले कुछ वर्षों में नदियों में प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) के सहयोग से आंध्र प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों सहित नदियों के जल की गुणवत्ता की निगरानी नियमित आधार पर करता है। सीपीसीबी द्वारा सितंबर, 2018 में प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार, नदियों में जैव-रासायनिक ऑसीजन मांग स्तर (बीओडी) (जैविक प्रदूषण का एक प्रमुख संकेतक) के आधार पर आंध्र प्रदेश में नदियों नामत: कुडुं (नांदयाल से मूधूरू), तुंगभद्रा (मंथरालयम से भावपुरम), गोदावरी (रायनपेटा से राजमुंदरी), कृष्णा (अमरावती से हमसाला दीवी) और नागावली (थोथापल्ली के किनारे) के पांच प्रदूषित नदी प्रवाह क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है।

यह मंत्रालय राज्य सरकारों को अशोधित मलजल के अंतरावरोध और अपवर्तन, मलजल निकासी के लिए नालों के निर्माण, मलजल शोधन संयंत्रों की स्थापना, कम लागत की स्वच्छता सुविधाओं के सृजन, काष्ठ आधारित उन्नत शवदाहगृहों के निर्माण, नदी तटाग्रों/स्नानघाटों के विकास आदि से संबंधित कार्यों को आंरभ करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग प्रदान करता है। विभिन्न नदियों के किनारे स्थित शहरों में प्रदूषण उपशमन कार्य आरंभ करने हेतु समय-समय पर राज्य सरकारों से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, और उन प्रस्तावों पर योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप होने, प्रदूषण की स्थिति, प्राथमिकता निर्धारण, स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा किए गए मूल्यांकन और योजना निधियों की उपलब्धता के अधीन राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विचार किया जाता है।

एनआरसीपी के तहत, आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी शहर में गोदावरी नदी के प्रदूषण के उपशमन के लिए, मल-जल के अंतरावरोध और अपवर्तन, मल-जल शोधन संयंत्र, कम लागत की स्वच्छता, नदी तटाग्र विकास और शवदाह गृहों के निर्माण से संबंधित योजनाओं को 21.79 करोड़ रूपए की स्वीकृत लागत से कार्यान्वित किया गया है और एनआरसीपी के तहत शहर में 30 एमएलडी (मिलियिन लीटर प्रतिदिन) की मल-जल शोधन क्षमता सृजित की गई है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय जलीय पारि-प्रणाली संरक्षण योजना (एनपीसीए) के तहत, मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील के संरक्षण के लिए शुरू किए गए पारि-विकास, पारि-पर्यटन, खरपतवार हटाने के कार्य, आवाह क्षेत्र शोधन, निगरानी, जन-जागरूकता आदि जैसे विभिन्न कार्य-कलापों हेतु अब तक 249.57 लाख रूपए की धनराशि जारी की गई है।

नगरीय अपशिष्ट जल को नदियों में गिराये जाने से पहले उसका समुचित शोधन सुनिश्चित करने हेतु, सीपीसीबी द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 1 (ख) के तहत आंध्र प्रदेश सहित देश के सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को अपने-अपने राज्यों में मल-जल शोधन संयंत्र की स्थापना के लिए निदेश जारी किए गए हैं। सीपीसीबी द्वारा नदियों में प्रदूषण के उपशमन के लिए मल-जल का उचित शोधन और निपटान सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत अक्तूबर, 2015 में 184 शहरों (66 महानगर और राज्य की राजधानियां + गंगा के किनारे स्थित शहर) के नगरीय प्राधिकरणों को भी निदेश जारी किए गए हैं।

(ड.) और (च) : चालू वित्तीय वर्ष में, एनआरसीपी के तहत विभिन्न राज्यों में स्वीकृत परियोजनाओं के संदर्भ में, नदियों के प्रदूषण के उपशमन का कार्य आरंभ करने हेतु 196.00 करोड़ रूपए का बजट आवंटन किया गया है। तथापि, आंध्र प्रदेश सरकार से एनआरसीपी योजना के तहत अभिज्ञात किए गए प्रदूषित नदी प्रवाह क्षेत्रों में प्रदूषण उपशमन कार्य हेतु वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

****